ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-10* January-2021
Anthology : The Research

पाक अधिकृत कश्मीर: वस्तुस्थिति और बदलाव

Pakistan Occupied Kashmir: Situation and Change

Paper Submission: 15/01/2020, Date of Acceptance: 26/01/2020, Date of Publication: 27/01/2021

श्वेता सिंह
सहायक प्राध्यापिका,
राजनीति विज्ञान विभाग,
आइसेक्ट विश्वविद्यालय,
हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

सारांश

अखण्ड भारत में जम्मू–कश्मीर का क्षेत्र शीर्ष पर विराजमान है, और जम्मू–कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, कि कश्मीर में तीन देशों की दखलअंदाजी है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन है। आजादी के बाद हुए युद्ध में कश्मीर के दो टुकड़े हो गए– जिसमें जम्मू–कश्मीर पर भारत तथा कश्मीर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटे हुए इलाके पर पाकिस्तान का अधिकार है, यह इलाका पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से मशहूर है।

अनुच्छेद 370 जम्मू–कश्मीर और उसके नागरिकों को विशेष दर्जा प्रदान करता है। भारत में विलय के दो वर्ष बाद अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में 1949 में शामिल किया गया जिसपर कश्मीर के राजा हरि सिंह और भारत के तत्कालीन गर्वनर जनरल माउंट बेटन ने हस्ताक्षर किया था। इस अनुच्छेद के अनुसार रक्षा, विदेश, वित्त और संचार मामलों को छोड़कर किसी भी मामले में कानून बनाने के लिए जम्मू–कश्मीर सरकार की सहमति जरूरी हो गई थी। अनुच्छेद 370 जम्मू–कश्मीर में वित्तीय आपातकाल घोषित करने से रोकता है, केन्द्र सरकार यहाँ केवल युद्ध की स्थिति में ही वित्तीय आपातकाल लगा सकती थी। इस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू–कश्मीर को अलग संविधान और झंडा रखने की अनुमति तक थी।

वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से अनुच्छेद 370 को रद्द किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू–कश्मीर में बसने में समर्थ होगा और वहाँ जमीन और संपत्ति खरीद सकेगा। इसके साथ–साथ केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को दो भागों में बाँटने का प्रस्ताव किया है। दोनों ही भाग केन्द्रशासित प्रदेश होगा, जिसमें जम्मू–कश्मीर अपनी विधानसभा के साथ एक केन्द्रशासित प्रदेश होगा, जबकि केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी।

अनुच्छेद 35ए पर 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने हस्ताक्षर किया था। जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि जो यहाँ 10 वर्षों से रह रहे थे वही यहाँ के नागरिक हैं, और यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार को था इसके साथ–साथ अगर कोई राज्य का नागरिक नहीं था, तो वह यहाँ संपत्ति या जमीन नहीं खरीद सकता था, यदि कोई कश्मीरी महिला किसी गैर कश्मीरी से विवाह कर ले, तो संपत्ति के उत्तराधिकार के भारतीय कानून यहाँ लागू नहीं होते थे।

सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही अनुच्छेद 35–ए का भी समापन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जम्मू–कश्मीर के इतिहास में मील के पत्थर जैसा एक अध्याय जोड़ दिया है, जो भारत में आए दिन हो रहे आतंकवाद जैसी विकराल समस्या को जड़ से मिटाने में कारगर साबित हो।

The Pakistan Occupied Kashmir Sub-Block, the region of Jammu and Kashmir in India, sits on the top, and Jammu and Kashmir is called the heaven of the earth. But the situation today is such that three countries are interfering in Kashmir, including India, Pakistan and China. In the post-independence war, Kashmir was divided into two parts - in which Jammu and Kashmir has the right of Pakistan over India and Kashmir on the adjoining areas of Pakistan and Afghanistan, this area is popularly known as Pakistan Occupied Kashmir.

Article 370 gives special status to Jammu and Kashmir and its citizens. Two years after the merger with India, Article 370 was incorporated into the Indian Constitution in 1949 which was signed by King Hari Singh of Kashmir and Mount Baton, the then Governor General of India. According to this article, the consent of the Government of Jammu and Kashmir was necessary to make a law in any matter except defense, foreign, finance and communication matters. Article 370 prohibits declaring a financial emergency in Jammu and Kashmir, the Central Government could have imposed a financial emergency only in the event of war. By this article, Jammu and Kashmir was allowed to have a separate constitution and flag.

Presently Article 370 has been repealed by order of President Ramnath Kovind. This means that any citizen of India will now be able to settle in Jammu and Kashmir and will be able to buy land and property there. Along with this, the Central Government has proposed to divide the state into two parts under Article 370. Both parts will be Union Territories, in which Jammu and Kashmir will be a Union Territory with its Legislative Assembly, while the Union Territory of Ladakh will not have an Assembly.

Article 35A was signed in 1954 by Pandit Jawaharlal Nehru and the then Prime Minister Sheikh Abdullah. Under which it was decided that those who had been living here for 10 years are the citizens of this place, and it was the right of the state government to decide that along with it, if any state was not a citizen of the state, then it would have property or land here. Could not buy, if a Kashmiri woman married a non-Kashmiri, then Indian laws of succession of property did not apply here.

With the government abolishing Article 370, Article 35-A has also ended. Prime Minister Modi's government has added a milestone chapter in the history of Jammu and Kashmir, which will be effective in rooting out the huge problems like terrorism happening in India.

Status and change

मुख्य शब्द : .आपातकाल, नागरिकता, अधिकृत, राजनीतिज्ञ, आरक्षण, कट्टरपंथी, विभाजन।
Emergency, Citizenship, Authorized, Politician, Reservation, Fundamentalism, Partition.

प्रस्तावना

अखण्ड भारत में जम्मू–कश्मीर का क्षेत्र शीर्ष पर विराजमान है, और जम्मू–कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, कि कश्मीर में तीन देशों की दखलअंदाजी है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन है। आजादी के बाद हुए युद्ध में कश्मीर के दो टुकड़े हो गए– जिसमें जम्मू–कश्मीर पर भारत तथा कश्मीर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटे हुए इलाके पर पाकिस्तान का अधिकार है, यह इलाका पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से मशहूर है। अनुच्छेद 370 जम्मू–कश्मीर और उसके नागरिकों को विशेष दर्जा प्रदान करता है। भारत में विलय के दो वर्ष बाद अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में 1949 में शामिल किया गया जिसपर कश्मीर के राजा हरि सिंह और भारत के तत्कालीन गर्वनर जनरल माउंट बेटन ने हस्ताक्षर किया था। इस अनुच्छेद के अनुसार रक्षा, विदेश, वित्त और संचार मामलों को छोड़कर किसी भी मामले में कानून बनाने के लिए जम्मू–कश्मीर सरकार की सहमति जरूरी हो गई थी। अनुच्छेद 370 जम्मू–कश्मीर में वित्तीय आपातकाल घोषित करने से रोकता है, केन्द्र सरकार यहाँ केवल युद्ध की स्थिति में ही वित्तीय आपातकाल लगा सकती थी। इस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू–कश्मीर को अलग संविधान और झंडा रखने की अनुमति तक थी।

वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से अनुच्छेद 370 को रद्द किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू–कश्मीर में बसने में समर्थ होगा और वहाँ जमीन और संपत्ति खरीद सकेगा। इसके साथ–साथ केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को दो भागों में बाँटने का प्रस्ताव किया है। दोनों ही भाग केन्द्रशासित प्रदेश होगा, जिसमें जम्मू–कश्मीर अपनी विधानसभा के साथ एक केन्द्रशासित प्रदेश होगा, जबकि केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी।

अनुच्छेद 35ए पर 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने हस्ताक्षर किया था। जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि जो यहाँ 10 वर्षों से रह रहे थे वही यहाँ के नागरिक हैं, और यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार को था इसके साथ–साथ अगर कोई राज्य का नागरिक नहीं था, तो वह यहाँ संपत्ति या जमीन नहीं खरीद सकता था, यदि कोई कश्मीरी महिला किसी गैर कश्मीरी से विवाह कर ले, तो संपत्ति के उत्तराधिकार के भारतीय कानून यहाँ लागू नहीं होते थे।

सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही अनुच्छेद 35–ए का भी समापन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जम्मू–कश्मीर के इतिहास में मील के पत्थर जैसा एक अध्याय जोड़ दिया है, जो भारत में आए दिन हो रहे आतंकवाद जैसी विकराल समस्या को जड़ से मिटाने में कारगर साबित हो।

आजादी के बाद कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह–तरह की अटकलें होने लगी और इसका मुख्य कारण महाराजा हरिसिंह और उनके प्रधानमंत्री रामचंद्र काक का रवैया था। वे अपनी रियासत को भारत में विलीन करने के पक्ष में नहीं थे। महाराजा तो इस मुद्दे पर कुछ खुलकर ही कहना नहीं चाहते थे, लेकिन हरिसिंह के मुख्य सलाहकार तथा प्रधानमंत्री रामचंद्र काक ने कई बार कहा था कि कश्मीर अपने वजूद को कभी भी किसी राष्ट्र के हवाले नहीं करना चाहेगा। महाराजा के उपप्रधानमंत्री बी० एल० बत्रा ने 13 अक्टूबर 1947 को साफ–साफ कहा था कि कश्मीर अपनी स्वतंत्र वजूद बनाये रखेगा। यह बात तभी सिद्ध हो चुकी थी, जब 1946 में भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, तो महाराजा हरिसिंह ने उसमें शामिल होने से इंकार कर दिया था।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेता और आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कई बार कहा कि "भविष्य का फैसला वहाँ की आवाम को करना है।" 26 अक्टूबर 1947 को जब आजाद भारत की सेना की टुकड़ी पहली बार श्रीनगर स्थित हवाई अड्डे पर उतर रही थी, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस दिन भी कहा था "मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ कि इस आपात काल में हम (भारत) कश्मीर की सहायता कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करके हम कश्मीर को भारत में विलय के लिए प्रभावित नहीं कर रहे हैं। हमने हमेशा से कहा है कि किसी भी इलाके या राज्य का विलय वहाँ की जनता की इच्छाओं के अनुसार ही हो सकता है।1

1946–1947 तक सूबे के प्रमुख राजनीतिक संगठन के रूप में सक्रिय नेशलन कॉन्फ्रेंस महाराजा हरिसिंह और उनके शासन के खिलाफ थी। 1932 में गठित इस संगठन का नाम पहले जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। लेकिन शेख अब्दुला ने संगठन के विशेष अधिवेशन के दौरान सन् 1939 में इसे नया नाम दिया– 'ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस' उन दिनों शेख अब्दुल्ला घाटी में सामंतवाद विरोधी और सेकुलर सोच के कारण शेख अब्दुल्ला का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके शीर्ष नेताओं से संपर्क बना था। 1946 में शेख अब्दुल्ला मुहम्मद ही ऑल इंडिया स्ट्रेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गये। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग आमतौर पर स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की गतिविधियों से नाराज ही रहती थी। कई मौकों पर उसने रियासतों के राजा–महाराजाओं का समर्थन किया।

भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में अंग्रेजों ने भारत की देशी रियासत पर से अपना दावा छोड़ दिया और इन रियासतों को आजादी दे दी कि अब वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या स्वतंत्र रहने के लिए विकल्पों को चुने, जम्मु और कश्मीर को महाराजा हरिसिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी में से किसी को नहीं चुना और जम्मु कश्मीर एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनना तय किया। जम्मु कश्मीर की घाटी घनी आबादी

वाला क्षेत्र था और यह ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था। जम्मु कश्मीर राज्य एक जनसांख्यिकीय विविधता वाला राज्य था, जिसमें अफगान तुर्क और अरब लोगों की आबादी थी। इसलिए यहाँ की जनसंख्या का 97 प्रतिशत, मुस्लिम तथा 3 प्रतिशत धार्मिक अल्पसंख्यक थे जो ज्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय के थे।

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 21 अक्टूबर 1947 को अचानक जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के ख्याल से उत्तरी–पश्चिमी सीमा प्रांत के पश्तून आदिवासियों के द्वारा जिन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त था इलाके पर आक्रमण कर दिया महाराजा हरिसिंह के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त विद्रोही आधुनिक हथियारों से लैस होने के कारण 24 अक्टूबर 1947 को पूंछ जिले पर नियत्रंण हासिल कर लिया। इसके साथ ही आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामुल्ला के ज्यादातर शहरों पर कब्जा जमा लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर से बीस मील दूर तक घूस आये और जिलों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इस तरह की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए महाराजा हरिसिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार लगाई और भारत ने कहा कि मदद तभी करेगा जब राजा उसके साथ "Instruments of Accession of Jammu & Kashmir to India" पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

तब जाकर महाराजा हरिसिंह ने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहर लाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और "Instruments of Accession of Jammu & Kashmir to India" पर अपने हस्ताक्षर कर दिये इसके साथ ही जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ तीन विषयों– रक्षा, विदेश मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया था। जिसके तहत भारतीय सैनिकों को श्रीनगर ले जाया गया और पाकिस्तानी सेना के साथ खुलकर लड़ाईयाँ हुई, इसी बीच दोनों देशों के बीच यथास्थिति को बनाये रखने के लिए समझौता हो गया और जो जिले पाकिस्तान ने हथियाये थे वे उसके पास ही रह गये, इन्हीं हथियाये गये जिलों को 'पाक अधिकृत कश्मीर' (POK) कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान आजादी कश्मीर कहता है।2

पाक अधिकृत कश्मीर (POK) मूल कश्मीर का वह भाग है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब, उत्तर–पश्चिम में अफगानिस्तान के बाखान गलियारे से, चीन के जिन्जियांग क्षेत्र से और भारतीय कश्मीर से पूर्व में लगती हैं। यदि गिलगित–बल्तिस्तान को हटा दिया जाए तो आजाद कश्मीर का क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर (भारतीय कश्मीर का लगभग 3 गुणा) पर फैला हैं। और इसकी आबादी लगभग 40 लाख है। आजाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है, और इसमें 8 जिले, 19 तहसीले, और 182 संघीय काऊंसिलें हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में आठ जिले– भीरपुर, मिम्बर, कोटली, फुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, रावलाकोट, और सुधनती है।

गुलाम कश्मीर पर एक नजर

1. 2017 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 4,045,366 है।
2. गुलाम कश्मीर 13,297 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
3. इस इलाके की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि और पर्यटन पर टिकी है।
4. यहाँ पर सिर्फ कहने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है।
5. दुनिया को दिखाने भर के लिए यहाँ पर अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है।
6. इसका एक हिस्सा 1964 में पाकिस्तान के द्वारा चीन को सौंपा जा चुका है।
7. गुलाम कश्मीर का एक हिस्सा फिलहाल चीन की शिनजियोग उइगर प्रोविंस का हिस्सा है।
8. सरदार मसूद गुलाम कश्मीर के 27वें राष्ट्रपति है।
9. राजा फारूख हैदर खान गुलाम कश्मीर के कहने भर के लिए 12वें प्रधानमंत्री हैं।

पी०ओ०के० एक सदनात्मक व्यवस्था है और यहाँ की असेंबली की अवधी पांच साल की है। लेकिन मात्र चार प्रधानमंत्री ही अपने पांच साल के कार्यकाल को पूरा कर पाये हैं। 1985 में सरदार सिंकदर हयात खान, उनके बाद राजा मुमताज हुसैन राठौर, मुहम्मद अब्दुल क्यूम खान और दोबारा सरदार सिकंदर हयात खान पीओके की सत्ता में रहे। बाकी के प्रधानमंत्री महज साल डेढ़ साल ही सत्ता में रह पाये। पीओके के प्रधानमंत्रियों ने वहाँ की राजनीतिक इतिहास को देखते हुए वहाँ किसी प्रकार के राजनीतिक उन्माद से बचने की कोशिश की ताकि उनकी कुर्सी के लिए कोई खतरा उत्पन्न न हो, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय इंटेलिजेंस और उसकी रणनीति पीओके की अंदरूनी राजनीति को भेद कर उनके मतभेदों को फायदा नहीं उठाया।3

पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के विषय पर हर बार झूठ बोलता आया है इतना ही नहीं पाकिस्तान ने तो हर बात पर जम्मू कश्मीर के मसले को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश करता रहा हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में हर बार उसे नाकामी ही हाथ आई है। पाकिस्तान की हकीकत यह है कि वो अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा शुभचिंतक होने का दिखावा करता है, और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने तो संयुक्त राष्ट्र तक पर मुस्लिम राष्ट्रों से पक्षपात करने का इल्जाम तक लगाते देर नहीं करते हैं लेकिन शायद पाकिस्तान यह भूल गया है कि इस्लामिक सहयोग संगठन के ही कई देश पाकिस्तान का साथ जम्मू कश्मीर मुद्दें पर नहीं देते।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत, जम्मू कश्मीर राज्य भारतीय संघ का संवैधानिक राज्य है। दूसरी तरफ संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 में इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके तहत भारतीय संविधान के सभी उपबंध यहाँ पर लागू नहीं होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 राज्य का विशेष दर्जा देता है, इस अनुच्छेद के तहत यह घोषित किया गया था

कि संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का से संबंधित कानून को लागू करने के लिए केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन लेना पड़ता था। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग ही संविधान है।

जम्मू कश्मीर में लागू होने वाले विशेष कानून

जम्मू कश्मीर पर संविधान की धारा–356 लागू नहीं होती

इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर भारतीय संविधान की धारा–356 लागू नहीं होती जिसके कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है।

संपत्ति का अधिकार

भारत के लोगों के लिए संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, जबकि कश्मीर के लोागें के लिए अभी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। धारा 370 के तहत भारतीय लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार प्राप्त नही है। जम्मू कश्मीर की महिलाएँ अगर जम्मू कश्मीर के अलावा किसी भी राज्य के पुरूषों से विवाह करें तो उन्हें राज्य के अंदर कोई भी भूमि या संपत्ति रखने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा राज्य के मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होते।

आपाताकाल का प्रावधान

केन्द्र जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकता अशांति में होने वाले खतरे के आधार पर आपातकाल की घोषणा करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध के बाद राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल लगाने वाला प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है।

जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास नागरिकता होती है

जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग था, और वहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि भारत के अन्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं है, यहाँ भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश मान्य नहीं होते।

यदि जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। धारा–370 के वजह से यहाँ आर०टी०आई० लागू नहीं है तथा CAG लागू नहीं होता।

अनुसूचित जनजातियों का राजनीतिक आरक्षण एस०टी० को, जम्मू–कश्मीर में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, जबकि राज्य में 11.9 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं।

भारतीय दंड संहिता

जम्मू कश्मीर राज्य में रणबीर दंड संहिता या RPC एक लागू आपराधिक कोड है, अनुच्छेद 370 के तहत यहाँ पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं है।4

भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति के संविधान आदेश, 1954 के माध्यम से लागू होता है। उसमें स्थायी निवास के बारे में अनुच्छेद 35 में बताया गया है। जिसके अनुसार भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में कई अधिकारों से वंचित हो जाता है। लेकिन वह इन अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत के किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। इसकी जड़ में सवैधिानिक प्रावधान अनुच्छेद 370 है। कश्मीर के लोग इस अनुच्छेद को अपनी स्वायत्तता और कश्मीरियत का रक्षा कवच मानते हैं, तो राष्ट्रीय एकीकरण के हिमायती लोगों के लिए यह राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए बहुत बड़ी रूकावट है।

देश के विभिन्न लोगों के लिए कश्मीर में संपत्ति खरीदने के दो मकसद हो सकते हैं– एक व्यावसायिक, दूसरा राजनैतिक। व्यवसायिक वर्ग अपने मकसद को पूरा करने के लिए कोई रास्ता निकाल ही लेता है। और कश्मीर में होटल, दुकान, या अन्य व्यवसायों के लिए सौदें कर लेते हैं, लेकिन राजनीतिक मकसद ज्यादा गंभीर है,। स्थायी और अस्थायी निवासी की अवधारणा कश्मीरियत की पहचान से जुड़ी हुई है। अगर दूसरी भाषा और संस्कृति के लोग वहाँ भारी संख्या में बस जायें तो कश्मीरियत की पहचान जाती ही रहेगी। जो लोग कश्मीर में स्थायी निवासी के प्रावधान खत्म करने की बात करते हैं, उनका इरादा कुछ ऐसा ही है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने कश्मीर की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए वहाँ के जनसंख्या में महारों को बसाने का सुझाव रखा था। कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन भी वहाँ के जनसंख्या के अनुपात को बदलने के लिए ऐसे सुझाव देते रहे हैं। जनसंघ और भाजपा का इरादा भी वहाँ रिटायर फौजियों को बसा कर जनसंख्या अनुपात बदल लेने का है।

1959 और 1964 में राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से कई संशोधन किये गये। वहाँ के 'सदरे रियासत' को राज्यपाल और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति, वेतन, कर्तव्य और उन्मुखियों का अधिकार राष्ट्रपति ने अपने हाथ में ले लिया। भारत के चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र भी जम्मू कश्मीर तक बढ़ा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता। वहाँ कई बार राज्यपाल शासन लागू हुआ। पर राज्यपाल थोड़े समय के बाद किसी न किसी सरकार का गठन कर लेते थे। 18 जुलाई 1990 को भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक अधिघोषणा जारी कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। गौरतलब है, कि वहाँ अनुच्छेद 356 और 360 न लागू कराने का आश्वासन 1952 के दिल्ली समझौते में भी दिया गया था। दरअसल, शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच हुए इस समझौते में कश्मीर की व्यापक स्वायतता का वायदा था।[5]

1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादूर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्रीजी में जम्मू कश्मीर की समस्याओं को जानने के लिए लाख कोशिश की यदि वे ज्यादा देर जीवित रहते तो शायद वे जम्मू कश्मीर में व्याप्त समस्याओं का अंत कर पाते लेकिन दुर्भाग्य से 11 जून 1966 को ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। लेकिन

जम्मू कश्मीर उन्होंने निधन से पूर्व 1965 में ही पहली बार कांग्रेस की शाखा स्थापित कर दी थी।6

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद का बदलाव

1. जम्मू–कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं रहेगा, बल्कि अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू–कश्मीर राज्य को केन्द्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है। जिसके पास विधानसभा होगा लेकिन इसके अलावा लद्धाख को जम्मू–कश्मीर से अलग कर दिया गया है और इसे भी एक केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया हे, जिसके पास अपना विधानसभा नहीं होगा।7
2. घाटी में लग सकेगा राष्ट्रपति शासन क्योंकि जम्मू–कश्मीर राज्य में संविधान का अनुच्छेद 370 लागू था। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। यानि वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं, बल्कि राज्यपाल शासन लगता था। अब वहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकेगा।
3. वित्तीय आपातकाल लागू होगा, भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। वो जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अब यहाँ वित्तीय आपातकाल लागू हो सकेगा।
4. 5 साल का विधानसभा का कार्यकाल, जम्मू–कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ भी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
5. दोहरी नागरिकता खत्म तथा अलग झंडा नहीं, यहाँ के नागरिकों के पास अब तक दोहरी नागरिकता होती है। इसके अलावा जम्मू–कश्मीर में अलग झंडा और अलग संविधान चलता है। मगर इस फैसले के बाद अब जम्मू–कश्मीर की दोहरी नागरिकता का अधिकार छिन जायेगा तथा अलग झंडा नहीं होगा।
6. संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी यहाँ लागू नहीं होते थे। इसके साथ–साथ अल्पसंख्यकों को यहाँ आरक्षण नहीं मिलता था। जबकि इस बदलाव के तहत अब जम्मू–कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फिसदी आरक्षण दिया जाएगा।
7. राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान दण्डनीय होगा क्योंकि इससे पहले जम्मू–कश्मीर का अलग झंडा था, लेकिन अब उन्हें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों उनके राष्ट्रीय का सम्मान करना होगा।
8. जम्मू–कश्मीर में अब से पहले बाहरी लोगों को सम्पति खरीदने पर प्रतिबंध था, लेकिन अनुच्छेद–370 को हटने के साथ ही बाहरी लोगों के लिए अब वहाँ जमीन और संपत्ति खरीद पाना संभव होगा।
9. आर०टी०आई०, सीएजी जैसे कानून लागू होंगे, संसद में पास कानून जम्मू–कश्मीर में तुरंत लागू नहीं होते थे। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सीएजी, मनी लॉड्रिंग विरोधी कानून, कालाधन विरोधी कानून और भ्रष्टाचार विरोधी कानून कश्मीर में लागू नहीं होते थे। अब ये लागू हो सकेंगे।8

धारा 370 का कानूनी पक्ष

बात 17 अक्टूबर 1949 की है, संसद में गोपाल स्वामी अयंगार ने खड़े होकर कहा कि हम जम्मू–कश्मीर को नया आर्टिकल देना चाहते हैं, क्योंकि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, और इस राज्य के साथ समस्याएँ हैं। यहाँ की स्थिति अन्य राज्यों की तरह नहीं है, तो वहाँ के लिए फिलहाल नए आर्टिकल की जरूरत होगी, क्योंकि अभी जम्मू–कश्मीर में पूरा संविधान लागू करना संभव नहीं होगा। अंततः अस्थायी तौर पर धारा 370 लागू करना होगा। जब वहाँ हालात सामान्य हो जाएँगे तब इस धारा को भी हटा दिया जाएगा। यह बात उल्लेख करने योग्य है, कि सबसे कम समय में डिबेट के बाद यह आर्टिकल पार्लियामेन्ट में पास हो गया। यह संविधान में सबसे आखिरी में जोड़ी गई थी। और इस धारा के फेस पर भी लिखा है कि 'टेम्परेरी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर'।

भारतीय संविधान के 21वें भाग को 370 अनुच्छेद है। 21वें भाग को बनाया ही गया अस्थायी प्रावधानों के लिए था, जिसे की बाद में हटाया जा सके इस धारा के 3 खण्ड हैं। इसके तीसरे खंड में लिखा है, कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू–कश्मीर की संविधान सभा के परामर्श से धारा 370 कभी भी खत्म कर सकता है। लेकिन अब तो संविधान सभा रही नहीं, ऐसे में राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं। जब कोई आर्टिकल या धारा टेम्परेरी बनाई जाती है, तो उसको सीज या हटाने की प्रक्रिया भी लिखी जाती है। जिसके अन्तर्गत प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया जब उचित समझें और उन्हें लगे कि समस्याओं का हल हो गया है, या जनजीवन सामान्य हो गया है, तो वह उस धारा को हटा सकता है।

अनुच्छेद 35 'ए'

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने नेहरू के कहने पर राज्य को विशेष अधिकार देने के लिए एक आदेश पारित कर दिया यह विशेष अधिकार ही आर्टिकल 35'ए' था। यह ऐसा आर्टिकल है, जिसमें लिखा है, कि–

1. राज्य यह तय करे कि जम्मू–कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है ?
2. किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा ?
3. किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा ?
4. किसे जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा ?
5. छात्रवृति तथा अन्य सार्वजनिक सहायता किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा ?

जब राज्य को ये अधिकार दे दिए गए तो फिर जम्मू–कश्मीर में राजनीतिज्ञों को अपनी मनमानी करने का एक हथियार मिल गया इस आधार पर उन्होंने तब राज्य का अपना संविधान बना लिया। इस कानून की आड में राज्य सरकार ने देश के विभाजन के वक्त बड़ी तादात में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों में मुसलमानों को तो जम्मू–कश्मीर की नागरिकता दे दी लेकिन हिन्दू और सिखों को इससे वंचित रखा।9

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का स्विटजरलैंड कहे जाने वाले जम्मू–कश्मीर, यहाँ की हरी–भरी वादियों, साफ स्वच्छ हवा पानी जो इस प्रदेश को वाकई स्वर्ग सा बना देते हैं। लेकिन कुछ सालों से कश्मीर की इन वादियों में बारूद की दुर्गन्ध आ रही है। इसके पीछ का कारण है, यहाँ के अलगावादी नेताओं का स्वार्थपरक राजनीति और कुछ कानूनी पेचीदगी जैसे आर्टिकल 35 'ए'।

1989 तक जम्मू–कश्मीर में स्थिति शांत रही राज्य में विकास की गति तेज हो गयी थी। वहाँ पर्यटन भी अपने चरम पर था लेकिन 1990 से कश्मीर घाटी में शुरू हो गया हिन्दुओं का कत्लेआम जम्मू–कश्मीर में कुछ कट्टरपंथियों और राजनीतिज्ञों ने हमेशा से ही कश्मीर को विवादित और अशांत बनाकर रखना चाहा है, ताकि वहाँ कभी भी 35'ए' और धारा 370 हटाई न जा सके लेकिन उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाता है, कि भारत की संसद, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर धारा 370 और 35'ए' को हटाने की शक्ति रखते हैं।

आखिरकार 05 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला नरेद्र मोदी की सरकार ने किया जिसके तहत जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। और तमाम राजनीतिक अटकलों के बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इस फैसले को सराहा जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि अलगाववाद और आतंकवाद से बाहर निकलकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ–साथ पूरे जम्मू–कश्मीर में अमन–चैन तथा भाईचारे के साथ खुलकर सांस लेने का प्रयास किया जाय।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *उर्मिलेश : 'कश्मीर विरासत और सियासत', अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०, नई दिल्ली, 2006, पृ० 20–21*
2. *https://m.Jagranjosh.com*
3. *https://m.Jagran.com*
4. *राजकिशोर : 'कश्मीर का भविष्य', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1994, 1996, 2000, पृ० 69–70*
5. *अग्निहोत्री, डॉ० कुलदीप चंद : 'जम्मू कश्मीर का विस्तृत अध्याय', 1989*
6. *नरेन्द्र सहगल :'व्यथित जम्मू–कश्मीर', पृ० 118–124*
7. *एम० लक्ष्मीकांत : 'भारत की राजव्यवस्था, McGraw Hill, New Delhi]2008, पृ० 243*
8. *https://m-livehindustan.com*
9. *https://m.webdunia.com*